

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 27—मई 3, 2019 (वैशाख 7, 1941)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 27—MAY 3, 2019 (VAISAKHA 7, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 4 अप्रैल 2019

सं. बैवि.आइबीडी.सं.8391/23.13.157/2018-19—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित को शामिल किया जाये :—

“कूकमीन बैंक”

लिली वडेरा
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अहमदाबाद-380014, दिनांक 7 जनवरी 2019

सं. यू/16/53/2003/मेड-II/गुज.37/जी/पी.टी.एम.आर./एस.एम.सी./डॉ. रेखा डी पंचोली/पी.टी.एम.आर./14—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 105 के अधीन की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा

निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या पी.टी.फाइल यू.16/18/1/एस.एम.सी./2009/मैडी-1 दिनांक 24.01.2018 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर (रों) को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को अधोहस्ताक्षरित द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. रेखा डी पंचोली	03.01.2019	लाल दरवाजा, सूरत गुजरात
पी. टी. एम. आर.	से	
लाल दरवाजा, सूरत	02.01.2020	

अक्षय काला
क्षेत्रीय निदेशक

अहमदाबाद-380014, दिनांक 10 जनवरी 2019

सं. यू/16/53/2003/मैडी-II/गुज-37/12/14 आ.पी.पी.टी.—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 105 के अधीन की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या पी.टी.फाइल यू.16/18/1/ एस एम सी/2009/मैडी-1 दिनांक 24.01.2018 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर(रों) को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को अधोहस्ताक्षरित द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. बाबूलाल बंसल	01.02.2019	जमालपुर, अहमदाबाद, गुजरात
पी. टी. एम. आर.	से	
जमालपुर, अहमदाबाद	31.01.2020	

ह/- अपठनीय
क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी)

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 4th April 2019

No. DBR.IBD.No.8391/23.13.157/2018-19—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following:

“Kookmin Bank”

LILY VADERA
Executive Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Ahmedabad-380014, the 7th January 2019

No. U-16/53/2003/Med.II/(Guj) 37/G/PTMR/BO-Lal/Dr.Rekha Pancholi/SMO/14—In Pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on file No.-16/18/1/SMC/2009/Med1 dated 24-01-2018. I hereby authorise the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with norms. The date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt:—

Name	Centre	Name of Centre/Place/Dist/State
Dr. Rekha D. Pancholi PTMR	03.01.2019 to 02.01.2020	B.O.Laldarwaja/Surat/,Gujarat

AKSHAY KALA
Regional Director

Ahmedabad-380014, the 10th January 2019

No. U-16/53/2003/Med.II/(Guj) 37/U/12/14/APPT/SMO/07— In Pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on file No.-16/18/1/SMC/2009/Med1 dated 24-01-2018. I hereby authorise the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with norms. The date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt:—

Name	Centre	Name of Centre/Place/Dist/State
Dr. Babulal Bansal PTMR	01.02.2019 to 31.01.2020	B.O.Jamalpur/Ahmedabad/,Gujarat

Sd/- ILLIGIBLE
Regional Director (I/c)

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंगे रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित

UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF THE PUBLICATIONS, DELHI-110054

BANSHI DHAR DUBEY Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2019.04.27 10:46:49 +05'30'